

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction Case)

C.W.J.C. No. of 2012

Shyama Kant Jha Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others Respondents.

Sub: *Departmental Reorganisation*

I N D E X

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Petition with Affidavit	1 to 10.
2.	Annexure-1: Copy memo dated 16.01.08...	11-12
3.	Annexure-2: Copy of the joining letter dated 28.03.2008	13
4.	Annexure-3: Copy of memo dated 17.01.08...	14
5.	Annexure-4: Copy of memo dated 06.08.08...	15
6.	Annexure-'5 Series': Copies of the relevant documents with regard to enquiry dated 22.09.2011	16-18
7.	V A K A L A T N A M A	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction Case)

C.W.J.C. No. of 2012

Shyama Kant Jha Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others Respondents.

S Y N O P S I S

Prayer: The petitioner above-named craves for indulgence of this Hon'ble Court by way of issuance of any appropriate writ preferably in the nature of mandamus commanding and directing the Respondents concerned to close/conclude the departmental proceeding initiated against this petitioner on malafide, false and frivolous charges, which has although been found false in enquiries, but despite retirement of this petitioner on 31.07.2011 till date the same has not been concluded despite elapse of more than four years of framing of charges due to which the retiral benefits of this petitioner is also being adversely affected. And/or any other relief or reliefs for which the petitioner is found entitled in the facts and circumstances of this case.

: II :

LIST OF DATE'S

- Para-4: Petitioner was posted as an Assistant Engineer in the Department of Rural Works on deputation under the services of District Board, Madhepura Incharge of National Rural Employment Programme.
- 16.01.08: Petitioner was put under suspension in contemplation of departmental proceeding for some frivolous and false charges and his Headquarter was fixed at the office of Principal Secretary, Department of Rural Works (Annexure-1).
- 17.01.08: Memo of charge was issued and enquiry officer and presenting officer was appointed (Annexure-3)
- 28.03.08: Petitioner submitted his joining at the headquarter (Annexure-2).

: III :

06.08.08: Earlier order for constitution of enquiry committee was cancelled (Annexure-4).

31.07.11: Petitioner retired from service. But departmental proceeding has not been concluded till date.

22.09.11: In enquiry allegation of defalcation against the petitioner has been found false (Annexure-'5 Series') despite that the departmental proceeding has been kept pending.

Due to pendency of the said departmental proceeding the petitioner is not getting his retirement benefits.

Hence this writ application.

3. The Engineer-in-Chief, Department of Rural Works,
Government of Bihar, Patna.
4. The Executive Engineer, Works Division, Madhepura,
Department of Rural Works, Madhepura.
5. The Chief Executive Officer, Zila Parishad, Madhepura.
..... Respondents.

To,

The **Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit**, the
Hon'ble Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and Her Companion Justices of
the said Hon'ble Court.

The humble petition on
behalf of the petitioner
above-named;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the petitioner above-named craves for
indulgence of this Hon'ble Court by way of issuance
of any appropriate writ preferably in the nature of
mandamus commanding and directing the
Respondents concerned to close/conclude the
departmental proceeding initiated against this
petitioner on malafide, false and frivolous charges,

which has although been found false in enquiries, but despite retirement of this petitioner on 31.07.2011 till date the same has not been concluded despite elapse of more than four years of framing of charges due to which the retiral benefits of this petitioner is also being adversely affected. And/or any other relief or reliefs for which the petitioner is found entitled in the facts and circumstances of this case.

2. That the main points to be considered in the present writ petition is as to whether the action the Respondents keeping the departmental proceeding pending despite the allegation was found false and fabricated in the enquiries, even after retirement of the petitioner from service is, illegal, improper, unjust, arbitrary, malafide, inhuman and against the principle of natural justice or not?
3. That the petitioner is citizen of India and belongs to territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That it is humbly stated and submitted that the petitioner ^{was} an Assistant Engineer in the Department

of Rural Works being posted on deputation under the services of District Board Madhepura Incharge of National Rural Employment Programme (N.R.E.P. in short).

5. That the petitioner has been discharging his duties sincerely and honestly.

6. That it is pertinent to mention hereby that under a conspiracy a notification has been issued from the level of Department vide memo No.307 dated 16.01.2008 suspending the petitioner on some malafide and frivolous charges levelled against this petitioner under provisions of Rule 9(1) of the Bihar Government Servant (Control, Classification and Appeal) Rules, 2005 (C.C.A. Rules only hereinafter) in contemplation of departmental proceeding.

A copy of memo dated 16.01.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

7. That while passing the suspension order the Headquarter of the petitioner has been fixed at office of the Principal Secretary, Department of Rural Works where he has submitted his joining on 28.03.2008.

A copy of joining letter dated 28.03.08 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

8. That it would be relevant to point out hereby that again a resolution have been issued from the Secretary level vide memo No. 317 dated 17.01.2008 issuing memo of charges and appointing the enquiry officer and presenting officer, initiating a departmental proceeding.

A copy of memo dated 17.01.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

9. That when for a long time no proceeding has taken place then again a notification has been issued from the department vide memo No.6470 dated 6.08.2008 cancelling the earlier order of constitution of enquiry committee vide Annexure-3 dated 17.01.2008 with a further direction that again a separate order shall be passed for conducting the departmental proceeding.

A copy of memo dated 06.08.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

10. That it is very much relevant to mention hereby that with regard to said allegation of defalcation an F.I.R. has also been instituted vide Madhepura P.S. Case No. 203/05 for offences under sections 406, 409, 34 of the Indian Penal Code against this petitioner with regard to which an enquiry has also been done and a report has been prepared on 22.09.2011 in which all the allegations of defalcation and misappropriation has been found false as all the relevant work has been found completed on the spot by the enquiry committee.

Copies of the relevant documents with regard to enquiry dated 22.09.2011 are annexed herewith and marked as Annexure- '5 Series' to this writ petition.

11. That it is also not out of place to mention hereby that in view of aforementioned enquiry, the Police has already submitted final report finding the case against this petitioner as false.
12. That even the petitioner has in the meantime retired from his service on 31.07.2011 while in suspension itself but till date no departmental inquiry proceeding has been conducted, which goes to show the malafide and callous attitude of the Respondents concerned.

13. That due to pendency of departmental proceeding, the petitioner has not even paid his retiral benefits as per his entitlement.
14. That under the aforementioned facts and circumstances action of the Respondents concerned, is illegal, improper, unjust, arbitrary, malafide, inhuman and against the well settled law as also against the principle of natural justice.
15. That the petitioner has got no other equally and speedy efficacious alternative remedy except to move before this Hon'ble Court by way of this writ application.
16. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court on any earlier occasion for the relief sought for in paragraph No.1 of this writ petition.

It is therefore, prayed that **Your Lordships** may graciously be pleased to issue Rule NISI asking the Respondents to show cause as to why the relief prayed for in para-1

of this writ petition be not allowed in favour of the petitioner and on cause being shown, if any, and after hearing the parties be pleased to allow this writ petition in terms of its para-1 and make the rule absolute.

And/or

Pass such other order/orders as Your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Shyama Kant Jha, aged about 61 years, son of Late Tara Kant Jha, resident of village-Kahara, P.S.-Dhbauli, District-Saharsa; do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in the instant case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ application have been read by me which I have fully understood and the statements made in paragraph No. 3 to 13, 15 and 16 are true to the knowledge and those made in paragraph Nos. None are true my information derived from the record of this case and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/typed copies of their respective originals.

श्यामा कान्त झा

Am-1

Am-1

11

112

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आधिसू- 1/अधिसू-2-95/05

306

दिनांक 16.1.08

अधिसूचना

श्री श्यामाकांत झा, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, मधेपुरा, जिला परिषद मधेपुरा में प्रतिनियुक्त थे, के विरुद्ध वर्ष 2001-02 में सुनिश्चित राजगार योजना के कार्यान्वयन में कार्य पूरा न कर राशि के गबन के कारण मधेपुरा जिले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। श्री झा पर निम्नलिखित अनियमितताओं के लिये विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार ने लिया है।


(क) वर्ष - 2001-02 में सुनिश्चित राजगार योजना के 20 प्रतिशत राशि से चौसा प्रखण्डगत अरजपुर उप-स्वास्थ्य केंद्र आपरेशन थियेटर एवं स्वास्थ्य उप केंद्र मदन निर्माण एवं चौसा में स्वास्थ्य उप केंद्र मदन निर्माण हेतु प्रावकलि. राशि मो-5,00,000.00 के विरुद्ध 3,75,000.00 रु कायकारी एजेंसी जिला अभियंता, मधेपुरा से प्राप्त कर योजना को पूर्ण न कर श्री झा द्वारा राशि का गबन कर लिया गया है।

(ख) प्रावक. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा के पद को जानते हुए भी बिना स्वाम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त किये उन्हें तकनीकी कार्य हेतु कनीय अभियंता बनाकर अग्रिम राशि हस्तगत कराकर सुनियोजित तरीके से राशि गबन करने का प्रयास किया है, के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

श्री झा को उक्त अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) 'क' एवं 'ग' के अन्तर्गत सरकार के आदेशानुसार तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख सह-अपर आयुक्त (सह-विशेष सचिव ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. श्री झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 307


/पटना, दिनांक- 16.1.08

प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय बिहार, पटना को सूचना एवं आगाम राजगार के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ज्ञापक- 307

/पटना, दिनांक- 16.1.08

प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आगाम राजगार के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

16.1.08


(41)


12-

ज्ञापक- 307 / पटना दिनांक- 16/10/8
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/10/8
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 307 / पटना दिनांक- 16/10/8
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन
निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/भवन
निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, रा0ग्रा0नि0का0, मधेपुरा/जिला अभियंता
मधेपुरा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी, जिला परिषद मधेपुरा/मुख्यालय स्थित संबंधित सभी राजपत्रित
उदाहृतकारो / श्री श्यामाकान्त ड्रा सहायक अभियंता रा0ग्रा0नि0का0, मधेपुरा, का सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/10/8
सरकार के संयुक्त सचिव


16.10.2008

8-3-08 Am-2

Am-2

13

प्रकृत :-
प्रशासक कार्यालय
तहसील अ. नं. ए. नं. १००/१००/१००/१०० (समग्र वि. ल. वि.)

सेवा में :-
प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार परत

विषय :- निजामत के अपराध प्रोत्साहन देते के
सम्बन्ध में।


महोदय,

साहब आतुरीय के साथ सुधिर करे हुए कहना है कि
अल्पवयस के कारण मैं अपना प्रोत्साहन आज दिनांक
28-3-2008 को बल कार्यालय में ग्रामीण कार्य
विभाग की अधिन सं - १/१००-२-११/०१ ३०८/
दिनांक 16-1-08 के आधीन में समर्पित कर रहा
हूँ।
कृपया इसे स्वीकार किये की कृपा की
जाय।

विश्वास राजत

प्रशासक कार्यालय
28-3-2008
तहसील अ. नं. ए. नं. १००/१००/१००/१००
बिहार

आपको _____ दिनांक - 28-3-2008

प्रतिनिधि  अतिरिक्त प्रमुख सह आप आशुत सह विशेष सचिव
28/3 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार परत को सूचना के माध्यम से आपका
कार्यवाही हेतु समर्पित।

प्रशासक कार्यालय
28.3.08
तहसील अ. नं. ए. नं. १००/१००/१००/१००

Ann-3

14

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

चूंकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री श्यामा कान्त झा, सहायक अभियंता, एन0आर0ईपी0, मधेपुरा के अधीन कार्यान्वित योजनाओं में कार्य पूरा न कर राशि के गवन के कारण गंभीर अनियमितता बरती गयी है जैसा कि सलग्न आरोप-पत्र में अन्तर्निष्ठ है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि श्री श्यामाकान्त झा, सहायक अभियंता, मधेपुरा (संप्रति निलंबित) के विरुद्ध उपबन्ध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के अधीन श्री एस0 पी0 केशव, विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री किशोरी साव, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद मधेपुरा को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री श्यामाकान्त झा, सहायक अभियंता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हों।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपी पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

सरकार के सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- आरोप पत्र साक्ष्य की प्रति के साथ श्री श्री एस0 पी0 केशव, विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्रवाही आरम्भ कर उसे पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के अन्तर्गत प्रतियो में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।

ह0/-

सरकार के सचिव


ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- 317(170)

/पटना, दिनांक 17-01-08

प्रतिलिपि- आरोप पत्र साक्ष्य की प्रति के साथ श्री किशोरी साव, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / श्री श्यामा कान्त झा, सहायक अभियंता, एन0आर0ईपी0, मधेपुरा (संप्रति निलंबित) मुख्यालय, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।



सरकार के सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

16/1/08

Am-4
Am-4
15
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना संख्या 1/310प्र02-95/05-6469 /पटना, दिनांक-06/08.08

अधिसूचना

विभागीय ज्ञाप संख्या-317 (अनु0) दिनांक-17.01.08

द्वारा निर्गत संकल्प जिसके द्वारा श्री श्यामाकान्त झा, सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मधेपुरा के विरुद्ध जिला परिषद, मधेपुरा के अधीन कार्यान्वित योजनाओं में कार्य पूरा न कर राशि गबन के कारण गंभीर अनियमितता के लिए विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत किया गया था, उसे रद्द किया जाता है।

2. विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

ह0/-

ज्ञापांक1/अ0प्र02-95/05-6470
सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक-06/08.08

प्रतिलिपि:- श्री एस0पी0 केशव, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक1/अ0प्र02-95/05-6470
/पटना, दिनांक-06/08.08

प्रतिलिपि:- श्री किशोरी साव, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक (नवम्बर) पदाधिकारी जिला परिषद मधेपुरा/श्री श्यामाकान्त झा, सहायक अभियंता (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

श्री श्री :- आर्य 5 सेन्ड 16

श्रीमान श्रीमान राजपालक पदाधिकारी

जिला परिषद मधुपुरा 1

संख्या :- मधुपुरा आर्य ऑड सं - 203/15 दि 023-7-05
कोटा 406/407/34 आर्य ऑड सं.

विषय :- शिक्षकों का जॉब दल से जॉब चयन जॉब प्रायोरिटी
में है।

11/11/15

अधिकारी का जॉब दल में शामिल हो
कर कार्य करना है कि उपरोक्त ऑड सं संदर्भ
में आर्य ऑड सं का जॉब दल में शामिल
होना है जिसमें उपरोक्त ऑड सं संदर्भ
में शामिल होना है। जॉब दल में शामिल
होने वाले ऑड सं (गुरुवारा जॉब) जॉब
दल में शामिल होना है। जॉब दल में शामिल
होना है।

आर्य ऑड सं है कि गुरुवारा

जॉब प्रायोरिटी में शामिल होना है।

श्री जॉब दल

विश्वास गारण्टी

कमलेश्वर

21/9/15

महाराज मधुपुरा

DRM
10/11/15

जाँच प्रतिवेदन

- 01 जाँच दल पदाधिकारी निम्न - है -
 - (i) कार्यपालक अभियंता एन0आर0ई0पी0, मधेपुरा।
 - (ii) भूमि सुधार उपसमाहत्ती, उदाकिशुनगंज।
 - (iii) श्री जयन्त कुमार मिश्र सहायक अभियंता एन0आर0ई0पी0, उदाकिशुनगंज।
- 02 योजना का नाम एवं सरध्या -
 - (i) 34/10-02 चौसा प्रखण्ड अन्तर्गत अरजपुर मे स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण।
 - (ii) 36/01-02 चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य।
- 03 प्रसंग :- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, मधेपुरा का ज्ञापाक- 111 दिनांक - 29.03 2011 एवं ज्ञापाक- 181, दिनांक- 20.06 2011


दिनांक - 20.08.2011 को सभी जाँच दल पदाधिकारी के साथ उपरोक्त दोनों योजनाओं की जांच हेतु कार्य स्थल पर गया। साथ ही साथ प्रबंधक एन0सी0सी0लैब, सुपौल को सूचित कर इनके कर्मचारी को बुलाया गया। सभी जांच दल पदाधिकारी के समक्ष निर्माण कार्य में उपयोग किये गये सामग्री का सेम्पुल जांच हेतु लिया गया। योजनाओं को सेम्पुल जांच दल के समक्ष सील कर इस कार्यालय के पत्रांक- 216 (क) दिनांक- 20.08.2011 को प्रबंधक एन0सी0सी0 लैब, सुपौल के पास भेजा गया। प्रबंधक एन0सी0सी0 लैब, सुपौल से जांचकर जांचफल प्रतिवेदन दोनों योजनाओं का प्राप्त हुआ है। योजनाओं की भौतिक स्थिति एवं जांचफल निम्न प्रकार है -


- (i) स्वास्थ्य उपकेन्द्र अरजपुर का भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है। ईट जुड़ाई कार्य छत स्तर तक लिया गया है। इसके अतिरिक्त सेपटिक टैंक एवं सोकपीट का निर्माण कार्य पूर्ण है। कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप एन0सी0सी0 लैब, सुपौल के गुण नियंत्रण जांचफल में आया है। निर्माणार्थक कार्य की गुणवत्ता ठीक आया है। कार्य संतोषप्रद पाया गया। (छायाप्रति सलग्न)
- (ii) चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य पूर्ण है। भवन का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौसा द्वारा पूर्ण से किया जा रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि एन0सी0सी0 लैब, सुपौल के गुण नियंत्रण जांचफल में नहीं आया है तथा निर्माण कार्य प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप जांच से आया है। निर्माण कार्य संतोषप्रद पाया गया। (छायाप्रति सलग्न)


सहायक अभियंता श्याम बन्त आ एन० आर० ई० पी०, मधेपुरा द्वारा कराये गये कार्य एवं
कुल राशि का विवरण निम्न प्रकार है -

यो० सं० एवं वर्ष योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रिम की राशि	मापी पुस्त के आधार पर किया गया कार्य
01 34/01-02 चौसा प्रखंडान्तर्गत अरजपुर मे उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	2,75,000	1,37,000	1,54,483 000
02 36/01-02 चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपरेशन थियेटर निर्माण कार्य।	2,75,000	2,75,000	2,68,661.00
कुल :-	5,50,000	4,12,000	4,23,144.00

इस प्रकार उपरोक्त दोनों योजनाओं में सहायक अभियंता द्वारा कुल-4,12,000.00
(चार लाख बारह हजार) रुपये प्राप्त किया गया है। जिसके विरुद्ध दानों योजनाओं के निर्माण कार्य
की कुल राशि-4,23,144.00 (चार लाख तेइस हजार एक सौ चोवालीस) रुपये आता है।


22/9/11
श्री ज्योति प्रसाद सिंघ
स० अ० एन० आर० ई० पी०,
उदाकिशुनगंज।


22.09.11
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
उदाकिशुनगंज।


22/9/11
कार्यपालक अभियंता
एन० आर० ई० पी०
मधेपुरा।